

**कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत**


**नीलामी सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक) के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर दो वाहन पार्किंग (मोटर साईकिल/साईकिल एवं कार पार्किंग) की नीलामी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 18.03.2021, दिन बृहस्पतिवार समय 1.30 बजे स्थान- जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष नियत है।

इच्छुक व्यक्ति वाहन पार्किंग के ठेके की नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित समय से केन्द्रीय नजारत, अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जमा व जानकारी कर सकते हैं।

माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन आदेश के अनुपालन नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 18.03.2021 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के न्यायालय प्रंगण के सभागार कक्ष में सम्पन्न किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) पर देखा जा सकता है तथा केन्द्रीय नजारत अनुभाग से भी प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक 03.03.2021

  
आबिद शमीम,

अध्यक्ष,

वाहन पार्किंग नीलाम समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-04 बागपत

## क्रय समिति का कार्यवत जनपद न्यायालय बागपत

### महोदय,

कार्यालय माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के आदेश संख्या-62 दिनांकित 02.03.2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 (01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक) के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर दो वाहन पार्किंग (मोटर साईकिल/साईकिल एवं कार पार्किंग) की नीलामी हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे विश्राम कक्ष में बैठक सम्पन्न की गयी। बैठक में श्री प्रेम प्रकाश जायसवाल, सिविल जज सीनियर डिवीजन बागपत सदस्य एवं श्री वरूण कौशिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत सदस्य उपस्थित आये। नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 18.03.2021 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के न्यायालय प्रंगण के सभागार कक्ष में सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया। नीलामी में भाग लेने के लिए सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड कराया जायेगा तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं--

वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण:-

क्र.सं.	ठेके का विवरण	धरोहर राशि	भूमि का विवरण
1	कार पार्किंग	25000/- रुपये	34.00 मीटर गुना 30.00 मीटर
2	मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग	25000/- रुपये	34.10 मीटर गुना 31.00 मीटर

वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग की दरे निम्नवत है:-

कार पार्किंग (चार पहिया वाहन)	30 रुपये प्रति वाहन
ओटो रिक्शा(तीन पहिया वाहन)	20 रुपये प्रति वाहन
मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	20 रुपये प्रति वाहन
साईकिल	05 रुपये प्रति वाहन

### नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

1. यह वाहन पार्किंग ठेका दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक के लिये वैध होगा।
2. जिस ठेकेदार के यहां वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त भी कर लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।

५५

५५

५५

3. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10% जोड़कर) की 10% धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त बोली लगाने का अधिकार होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित फॉर्म 150/- रुपये अदा कर केन्द्रीय नजारत अनुभाग से प्राप्त होगा तथा जमानत धनराशि से साथ जमा करने पर वैधानिक वैबसाईस से भी अपलोड किये जा सकते हैं। (प्रारूप संलग्न है।)
5. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी व व्यक्ति अपनी दुकान स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपर्युक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर दुकान का ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
6. नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय परिपत्र संख्या- 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊंची बोली को निरस्त कर दे तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर ले।
7. नीलामी की स्वीकृत धनराशि का 50% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि किसी भी स्थिति में आगामी छः माह में पूर्ण रूप से जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।
8. वाहन पार्किंग ठेकेदार को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग निर्धारित स्थल पर किचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।
9. जिस व्यक्ति के नाम से ठेका स्वीकृत होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या- 31/एस0 दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार 100/- रुपये का स्टॉम्प लाना होगा और नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
10. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं।
11. प्रत्येक व्यक्ति को अपने फॉर्म के साथ हैसियत प्रमाण पत्र व आधार कार्ड दाखिल करना होगा।

3.

12. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा कि शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

*Venu Kaushik*  
03-03-2021

वरुण कौशिक,  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
बागपत।  
(सदस्य)

*Yam*  
03-03-21

प्रेम प्रकाश जायसवाल  
सिविल जज सी0डि0  
बागपत।  
(सदस्य)

*A. J. Khan*

आबिद शमीम  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
न्यायालय संख्या-04 बागपत।  
(अध्यक्ष)

## दीवानी न्यायालय बागपत।

वाहन पार्किंग आवेदन फार्म

क्रमांक:-

नवीनतम  
फोटो

नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम :- श्री

पिता का नाम :- श्री

स्थायी पता :-

वर्षिक आय :-

व्यवसाय :-

शैक्षिक योग्यता :-

उम्र :-

कार्य का अनुभव यदि हो तो :-

मैं/हम इस ठेका सम्बन्धी कार पार्किंग/मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की नीलामी .....के सम्बन्ध में आवेदन करता/करती हूँ।

मेरे द्वारा दिनांक.....को निराक्षित की गयी तथा रु पया का नगद/बैंक ड्राफ्ट संख्या :-.....दिनांकित :- ..... धनराशि सिक्वोटि के रूप मे जमा कर दी गयी है। जिसे यदि मैं ठेका का कार्य करने मे अस्मर्थ रहता हूँ या पूर्ण धनराशि जमा करने मे असफल होता हूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जवाब कर लिया जायें। नीलामी समिति की शर्तों को भली-भांति पढ व समझ लिया है। जिसका मैं भली-भांति पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

उपरोक्त नीलामी मेरे द्वारा दीवानी न्यायालय बागपत, प्रांगण में नीलामी समिति के द्वारा अधिकतम धनराशि रूपया .....घोषित की जाती है व यह घोषणा की जाती है कि उपरोक्त निविदा फार्म में भरी गयी समस्त सूचना सही व सत्य है। यदि उपरोक्त सूचना असत्य पायी गयी तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक :-

हस्ताक्षर आवेदक

नोट :-

01. ठेकेदार/व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने वाले हेतु अपनी आधार कार्ड आई0 डी0 की स्वसत्यापित छायाप्रति, मोबाईल नम्बर, घर का बेसिक/टेलीफोन/मोबाईल नम्बर उक्त फार्म के साथ देना अनिवार्य होगा। अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

दिनांक:-

आवेदक के हस्ताक्षर

*Jeem*

*Seu*

*Seu*